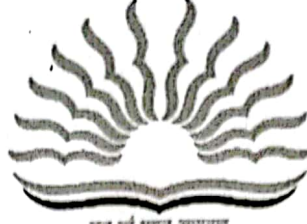




केन्द्रीय विद्यालय
सी.आर.पी.एफ.नयागांव
शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ
भारत सरकार
ए०बी०रोड, नयागांव, ग्वालियर
जिला- ग्वालियर (म.प्र.)-475330



एतत् सर्वं धनं अयमग्रमु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA C.R.P.F.
NAYAGAON
(An Autonomous Organization
under Ministry of Education)
Govt. of India
A.B. ROAD, NAYAGAON, GWALIOR
Distt. Gwalior(MP)-475330

E-mail ID: kvcprfgwl@gmail.com Website: <https://crpfnayagaon.kvs.ac.in> Ph. 0751-2560203

फा0 सं02414/कार्यालय आदेश/केवि सी.आर.पी.एफ/2024-25/ICC

दिनांक :- 16-01-2025

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा0 11-55/2000-केविसं (सतर्कता)/पार्ट-1, दिनांक 03.08.2015 एवं आदेश क्रमांक फा011-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय, सी0आर0पी0एफ0, नयागांव के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का गठन किया जाता है।

क्रमांक	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
01	Presiding Officer	Mrs. Shakti Rathore, TGT (Hindi) , 09479809585	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the employee of Vidyalaya except (Principal, Vice-Principal and HM)
02	Female Member	Mrs. Anita Kumari Meena, TGT (Sans.), 07306812338	
03	Male Member	Mr. Brijesh Kumar Yadav, TGT (S.St), 06393879921	
04	NGO Member	Mrs. Ramkali (ST) Sarpanch, Nayagaon, 07067731271	

प्राचार्य / PRINCIPAL

प्राचार्य / PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय सी०आर०पी०एफ० / Kendriya Vidyalaya
नयागांव, ग्वालियर

टिपण्णी- 1. समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

वितरण-

1. संबंधित समिति सदस्य।
2. समस्त विद्यालय कर्मचारी को सूचनार्थ।
3. विद्यालय वेब साईट।
4. गार्ड फाईल।